न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /44/2022

हंसा पुत्र जियालाल जाति गडरिया निवासी सहनावली तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1—राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का धौरमुई तहसील भरतपुर

.....असल रेस्पो.

2—सूरज पुत्र स्व0 नवल
3—गजेन्द्र पुत्र स्व0 नवल
4—किरन देई पत्नी स्व0 नवल
} जाति गडरिया निवासी सहनावली तहसील व जिला भरतपुर

.....तरतीवी रेस्पो0

अपील विरुद्ध आज्ञा नायव तहसीलदार (द्वितीय) भरतपुर दिनांक 11.11.2021 पत्रावली संख्या 8/21 व उनवानी सरकार बनाम हंसा नवल अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट।

उपस्थितः—
1—श्री पंकज कुमार, अभिभाषक अपीलान्ट,
2—पैरोकार सरकार रेस्पो न.1
3—रेस्पो0 नं.2, 3 व 4 अनुपस्थित

निर्णय **दिनांक 16.04.2025**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ नायव तहसीलदार (द्वितीय) भरतपुर आदेश दिनांक 11.11.2021 पत्रावली संख्या 8/21 व उनवानी सरकार बनाम हंसा, नवल के खिलाफ पेश की गई है। नायव तहसीलदार भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.11.2021 में अपीलान्ट अतिक्रमी को आराजी खसरा नम्बर 566/0.04 ग्रांम शहनावली किस्म गै. मु. शमशान में से 0.01है. पर एवं खसरा नम्बर 561/0.51 में से 0.01 पर ईंधन विटोरा पक्के दो थान बनाकर किये गये अतिक्रमण से बेदखल किये जाने एवं पैनल्टी कायम किये जाने की आज्ञा दी गई है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील 5.12.2022 को इस न्यायालय में पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एवं पत्रावली तहत तलब की गई। रेस्पो. संख्या 2, 3 व 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आये हैं। तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त तहत पत्रावली नत्थीबद्ध की गई। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि अपीलान्ट ने तहत न्यायालय में अपना जवाब पेश किया है जिसका उल्लेख अपीलाधीन आदेश में नही किया गया है। अपीलान्ट ने किसी सरकारी रकबे पर अतिक्रमण नहीं किया बल्कि अपने आवंटन शुदा रकबा पर काबिज है। अपीलान्ट का कोई नया कब्जा नहीं है बल्कि 50–60 साल से काबिज है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि वर्ष 1985 में भी अपीलान्ट के खिलाफ इस प्रकार कार्यवाही की गई थी, जिसमें तहत न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 4.1.85 के द्वारा अपीलान्ट का पुराना कब्जा मानते हुये धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही निरस्त की थी। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहत न्यायालय ने किसी प्रकार की जांच नहीं की है और ना ही हल्का पटवारी के बयान वगे. लिये गये हैं। अपीलाधीन आदेश नियमों के खिलाफ बिना कोई जांच किये पारित किया गया है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 28.11.2022 को हल्का पटवारी द्वाराबेदखली करने की धमकी दिये जाने पर पता चली तब जाकर नकल वगे. लेकर अपील जानकारी दिनांक से अन्दर म्याद पेश की गई है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे।

पैरोकार सरकार का कहना है कि अपीलान्ट ने गैर मुमकिन शमशान की भूमि पर ईंधन विटोरा व पक्के थान बनाकर कर अतिक्रमण किया है, जिस पर तहत न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुये नियमों के तहत अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विवादित आराजी आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। तहत पत्रावली का अध्ययन किया गया। प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। देरी को माफ करने के लिये अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। म्याद के सन्दर्भ में आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील /44/2022
हंसा बनाम सरकार वगै0

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नजीरों की परिप्रेक्ष्य में अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुये, अपील की मैरिट पर विचार किया गया।

तहत पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी खसरा नम्बर 566/0.04 में से 0.01 है0 एवं खसरा नम्बर 5[illegible]/0.51 में से 0.01 है0 किस्म भूमि गैर मुमकिन शमशान पर ईंधन विटोरा पक्के 2 थान बनाकर अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में तहसीलदार को रिर्पोट की गई है। नायव तहसीलदार भरतपुर ने अतिक्रमी के खिलाफ धारा 91 एलआर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये नोटिस जारी किये गये, अपीलान्ट अतिक्रमी ने तहत न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाब भी पेश किया गया है। अपीलान्ट का कहना है कि तहत न्यायालय ने अपीलान्ट के जबाब का कोई उल्लेख अपीलाधीन आदेश में नहीं किया गया है। विवादित आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन शमशान है, जिस पर अपीलान्ट ने अतिक्रमण किया है। ऐसी भूमियॉ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी में आती हैं। ऐसी भूमियों पर किसी को भी किसी भी प्रकार से आंबटन नियमन नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट किसी भी प्रकार से रिलीफ पाने का हकदार नहीं रहता है। तहत न्यायालय ने विधिवत आदेश पारित किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर